

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-220/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० सुधा कुमारी, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-05.10.2025 से 02.04.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/--

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-220/2025- 263(2) पटना, दिनांक : 9/2/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/
प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार/डा० सुधा कुमारी, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahimuk Satab
सरकार के उप सचिव।